उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–1
संख्याः–140 /XX(1)–2018–3(18)2006
देहरादून : दिनांक : 08 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक, वेतनमान ₹15600–39100, ग्रेड वेतन ₹5400 के पद पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नत कोटे के पुलिस उपाधीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1001/XX-1/2011–57/पी.पी.एस./2006 दिनांक 07.02.2011 द्वारा निर्धारित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 24078–24085 एवं सम्बद्ध वादों में दिनांक 12.02.2015 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में उत्तर प्रदेश राज्य से आए पी.पी.एस. अधिकारी, श्री सुखबीर सिंह की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में निर्धारित किये जाने हेतु पूर्व में निर्गत पारस्परिक ज्येष्ठता सूची दिनांक 07.02.2011 में आंशिक संशोधन कार्यालय ज्ञाप संख्याः 573/xx(1)–2016–3(18)2006 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा किये गये।

2– मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2013 के कम में श्री तारादत्त वैला की ज्येष्ठता पुनर्निधारित किये जाने एवं नोशनल पदोन्नति प्राप्त श्री परीक्षित कुमार को ज्येष्ठता सूची में यथास्थान निर्धारित किये जाने हेतु प्रभावी ज्येष्ठता सूची दिनांक 07.02.2011 में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु अनन्तिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या 102/xx(1)–2018–3(18)2006 दिनांक 29.01.2018 निर्गत की गयी थी, जिसपर हितबद्ध अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर अपनी वरिष्ठता की स्थिति/स्थान के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/टिप्पणी शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। तत्कम में हितबद्ध कार्मिकों श्री राजेश भट्ट, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, श्री राजीव मोहन, श्रीमती मनीषा जोशी, श्री लोकजीत सिंह, श्री जोधराम जोशी, श्रीमती जया बलोनी, श्री स्वप्न किशोर सिंह एवं श्रीमती रेनू लोहानी की आपत्तियां/टिप्पणी प्राप्त हुई हैं, जो सामान्यतः निम्नानुसार 07 श्रेणियों में विभक्त की जा सकती हैं:–

1. श्री परीक्षित कुमार को निरीक्षक पद पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन उत्तर प्रदेश में 1995 से दिया गया था, जो एक्स कैडर प्रमोशन था। उत्तराखण्ड राज्य में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की कोई व्यवस्था/नियम विद्यमान नहीं है।
2. उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1693/6–पु0–1–15–90(4)/2014 दिनांक 23.07.2015 को आधार मानते हुए उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1272/xx-7/2015–01(51)/2015 दिनांक 21.09.2015 के अनुसार आउट ऑफ टर्न की तिथि से परिवीक्षाकाल निर्धारित करते हुए संवर्गीय पदों पर मौलिक नियुक्ति की तिथि से वन टाईम वरिष्ठता निर्धारित की गयी है तथा निरीक्षकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 09.11.2015 को निर्गत की गयी, जिसके आधार पर श्री परीक्षित कुमार की दिनांक 28.07.2016 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी, जिससे स्पष्ट है कि श्री परीक्षित कुमार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान देने की मौलिक तिथि 28.07.2016 है।
3. उत्तर प्रदेश राज्य में आउट ऑफ टर्न से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड राज्य में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन सम्बन्धी कोई नियम नहीं होने के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश को आधार मानते हुए पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है, तो वरिष्ठता/ज्येष्ठता निर्धारण में उत्तर प्रदेश राज्य के समान नियम का पालन क्यों नहीं किया गया ?

कमशः.........2

4. उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 में स्पष्ट है कि ज्येष्ठता निर्धारण जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी। श्री परीक्षित की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर मौलिक नियुक्ति वर्ष 2016 की है। वरिष्ठता निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान होते हुए भी इस नियम का संज्ञान नहीं लिया गया है।

5. श्री परीक्षित कुमार को लाभ पहुचांने के उद्देश्य से नियम विरूद्ध नोशनल प्रमोशन करवाकर वर्ष 2009 की वरिष्ठता दर्शायी गयी है, जिसके विरूद्ध रिट संख्या 582(S/B)/2017 राजेश कुमार भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर की गयी है तथा वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है। अतः वर्ष 2007 से 2015 तक नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय के उपरान्त ही वरिष्ठता निर्धारित की जाय।

6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं, उन सब में वरिष्ठता बैच नम्बर से ही तय की जाती है। जिस वर्ष पद हेतु विज्ञप्ति आयोग द्वारा प्रकाशित होती है वही वर्ष तत् पद का बैच नम्बर माना जाता है।

   कमोबेश यही व्यवस्था राज्य लोक सेवा आयोग में प्रचलित रही। सन् 2000 में उत्तराखण्ड राज्य का गठन होने के पश्चात् उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी भी भर्तियां की गयी, उन सभी भर्ती प्रकियाओं में कतिपय कारणों से विलम्ब हुआ। हितबद्ध पुलिस उपाधीक्षकों द्वारा सन् 2004–05 की विज्ञप्ति में आवेदन किया गया था, जिस हेतु परीक्षाऐं क्रमशः प्रारम्भिक परीक्षा सन् 2005, मुख्य परीक्षा सन् 2007 तथा साक्षात्कार सन् 2008 में दिया गया। इसी क्रम में नवम्बर, 2008 में अन्तिम चयन परिणाम घोषित हुआ। परन्तु उल्लेखनीय है कि नियुक्तियां अगस्त, 2009 में प्रदान की गयी। इस पूरी प्रकिया में हितबद्ध पुलिस उपाधीक्षकों द्वारा विलम्ब नहीं किया गया परन्तु आज इस विलम्ब के कारण हितबद्ध कार्मिकों का हित प्रभावित हो रहा है। उनको मौलिक नियुक्ति सन् 2009 में दी गयी, जबकि उनका मूलतः बैच 2004–05 का है। वरिष्ठता जो या तो बैच नम्बर से निर्धारित की जानी चाहिए या मौलिक नियुक्ति की तिथि से, इन दोनों ही शर्तों पर हितबद्ध कार्मिक श्री परीक्षित कुमार से ज्येष्ठ बनते हैं। अतः हितबद्ध कार्मिकों को वरिष्ठता सूची में श्री परीक्षित कुमार से वरिष्ठ रखा जाना सर्वथा समीचीन व न्यायोचित है।

7. अतः वर्ष 2009 से वर्ष 2015 तक नियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों के हित को दृष्टिगत रखते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय के उपरान्त ही वरिष्ठता निर्धारित की जाए।

3– उक्तानुसार प्राप्त आपत्तियों से सम्बन्धित उक्त प्रस्तर–**2** के 7 बिन्दुओं के क्रम में उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है:–

1. **बिन्दु संख्या 1** के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि श्री परीक्षित कुमार को निरीक्षक के पद पर आउट ऑफ टर्न पदोन्नति राज्य गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दी गयी। उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 1693/6–पु0–1–15–90(4)/2014 दिनांक 23.07.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के वर्ष 1994 से वर्ष 2014 तक आउट ऑफ टर्न पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के दिनांक से ही संवर्गीय पद पर मानते हुए वन टाईम वरिष्ठता निर्धारित किये जाने विषयक आदेश निर्गत किये गये। उत्तर प्रदेश के उक्त शासनादेश के क्रम में पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या डीजी–एक–154–2015 दिनांक 07 सितम्बर, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त उत्तराखण्ड राज्य हेतु आवंटित एवं नियुक्त आउट ऑफ टर्न प्रोन्नत कार्मिकों की वरिष्ठता आउट ऑफ टर्न पदोन्नति के दिनांक से संवर्गीय पद पर मानते हुए परिवीक्षा काल का निर्धारण किये जाने हेतु शासकीय अनुमति प्रदान किये

क्रमशः.....3

जाने का अनुरोध किया गया।

पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा उक्तानुसार किये गये अनुरोध के कम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 1272/xx-7/2015–01(51)/2015 दिनांक 21.09.2015, संशोधित शासनादेश संख्या 1929/xx-7/2017–01(51)/2015 दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा शासनादेश संख्या 7249/छः–पु0–1–98–24/93 दिनांक 01.05.1999 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए आउट ऑफ टर्न पदोन्नति संवर्गीय मानते हुए उत्तराखण्ड राज्य के लिए अन्तिम रूप से आवंटित निरीक्षको को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति की तिथि से परिवीक्षा काल निर्धारित करते हुए संवर्गीय पदों पर मौलिक नियुक्ति की तिथि से वन टाईम वरिष्ठता निर्धारित की गयी। इस प्रकार आउट ऑफ टर्न पदोन्नत निरीक्षक, श्री परीक्षित कुमार को उत्तराखण्ड राज्य में कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया गया है अपितु पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरीक्षक पद पर प्रदत्त निसंवर्गीय आउट ऑफ टर्न पदोन्नति को संवर्गीय पदों पर मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए वन टाईम वरिष्ठता निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः हितबद्ध कार्मिकों द्वारा उल्लिखित आपत्ति पोषणीय नहीं है।

2. **बिन्दु संख्या 2** के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि शासनादेश संख्या 1272/xx-7/2015–01(51)/2015 दिनांक 21.09.2015, संशोधित शासनादेश संख्या 1929/xx-7/2017–01(51)/2015 दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 द्वारा शासनादेश संख्या 7249/छः–पु0–1–98–24/93 दिनांक 01.05.1999 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए निरीक्षक पद पर आउट ऑफ टर्न पदोन्नति संवर्गीय मानते हुए उत्तराखण्ड राज्य के लिए अन्तिम रूप से आवंटित निरीक्षकों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति की तिथि से परिवीक्षा काल निर्धारित करते हुए संवर्गीय पदों पर मौलिक नियुक्ति की तिथि से वन टाईम वरिष्ठता निर्धारित की गयी। उक्त के कम में पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 18.08.2017 द्वारा उक्त आउट ऑफ टर्न पदोन्नत कार्मिकों की निरीक्षक संवर्ग में संशोधित वरिष्ठता निर्धारित की गयी, जिसके आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 06.10.2017 में लिए गये निर्णयानुसार प्राप्त संस्तुति के आधार पर श्री परीक्षित कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री प्रताप सिंह पांगती की निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 28.01.2009 से नोशनल रूप से पदोन्नत किया गया। इस प्रकार श्री परीक्षित कुमार की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनांक 28.01.2009 है। अतः हितबद्ध कार्मिकों द्वारा उल्लिखित उक्त आपत्ति नियमानुसार नहीं है।

3. **बिन्दु संख्या 3** के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि हितबद्ध कार्मिकों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में आउट ऑफ टर्न से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत किये जाने विषयक जिस आदेश संख्या डीजी–2ब–61ए/2017–18 दिनांक 27.11.2017 का उल्लेख किया गया है, वह पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति का आदेश है, न कि आउट ऑफ टर्न से प्रोन्नति का आदेश है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत हितबद्ध कार्मिकों की यह आपत्ति भी पोषणीय नहीं है।

4. **बिन्दु संख्याः 4** के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि आउट ऑफ टर्न पदोन्नत निरीक्षक श्री परीक्षित कुमार को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री प्रताप सिंह पांगती की निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 28.01.2009 से नोशनल रूप से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत किये जाने विषयक शासनादेश संख्याः 807/XX(I)–2017–3(12)2014 दिनांक 18.12.2017 निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश दिनांक 18.12.2017 में श्री परीक्षित कुमार की पदोन्नति (नोशनल) की तिथि 28.01.2009 का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इस कारण उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8(1) के प्रथम प्रतिबन्ध के अनुसार उक्त मामले में श्री परीक्षित कुमार की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर मौलिक

कमशः..........4

नियुक्ति की तिथि 28.01.2009 है, न कि वर्ष 2016 ।

अतः श्री परीक्षित कुमार को उक्तानुसार नोशनल रूप से पदोन्नत किये जाने के दृष्टिगत उनकी ज्येष्ठता श्री जगदीश चन्द्र आर्य एवं श्री प्रताप सिंह पांगती के मध्य निर्धारित की गयी है। अतः यह आपत्ति भी पोषणीय नहीं है।

5. **बिन्दु संख्याः 5** के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि श्री परीक्षित कुमार को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नोशनल रूप से उनसे आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि दिनांक 28.01.2009 से पदोन्नत किये जाने एवं उक्त के कम में उनकी वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्याः 582(एस/बी)/2017 मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर की गयी है एवं वर्तमान मे मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्तरिम आदेश प्रतिपक्षी को नहीं दिये गये हैं, अतः अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 29.01.2018 के आधार पर प्रख्यापित अन्तिम वरिष्ठता सूची, उक्त रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन होने के प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जा रही है।

6. **बिन्दु संख्या 6** में हितबद्ध पुलिस उपाधीक्षकों द्वारा की गयी आपत्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां अखिल भारतीय सेवा से सम्बन्धित हैं, जिनके नियम राज्य सेवा के नियमों से भिन्न हैं। राज्य सेवा के अंतर्गत प्रवृत्त उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथि से किये जाने का प्राविधान है, न कि चयन वर्ष/विज्ञप्ति वर्ष के आधार पर। श्री परीक्षित कुमार को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नोशनल पदोन्नति उनसे आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि दिनांक 28.01.2009 से प्रदान की गयी है, जबकि हितबद्ध पुलिस उपाधीक्षकों, जिनके द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हैं, की मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनांक 01 जुलाई, 2009 अथवा उसके बाद की है। अतः उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के भाग–2 के नियम–8(2) के अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही अवधारित किया गया है। उक्त नियम के आलोक में यह आपत्ति भी पोषणीय नहीं है।

7. **बिन्दु संख्या 7** के कम में अवगत कराया जाना है कि वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्याः 582(एस/बी)/2017 मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर की गयी है एवं वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्तरिम आदेश प्रतिपक्षी को नहीं दिये गये हैं अतः अनन्तिम वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रख्यापित अन्तिम वरिष्ठता सूची, उक्त रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन होने के प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जा रही है।

4— अतः उक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित विवेचन के आलोक में हितबद्ध कार्मिकों द्वारा की गयी आपत्तियों का तदनुसार निस्तारण करते हुए उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.02.2011 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची में पूर्व में आंशिक रूप से संशोधन किये जाने हेतु निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 29 जनवरी, 2018 के अनुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नवत् निर्गत की जाती है:–

अधिकारी का नाम तथा जन्मतिथि/गृह जनपद/शैक्षिक योग्यता	आवंटन का वर्ष	पुलिस उपाधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	वरिष्ठता सूची में कमांक
1	2	3	4
श्री गिरीश चन्द्र ध्यानी, 13.10.1956 पौडी/बी.ए.	प्रोन्नत 2000	01.12.2000	18
श्री तारादत्त वैला, 08.07.1955 नैनीताल/एम.ए.	प्रोन्नत 2001	02.09.2001	18(A)
श्री चरन दत्त पन्त, 22.06.1952 चम्पावत/बी.ए.	प्रोन्नत 2001	05.09.2001	19
श्री हीरा बल्लभ भदोला, 20.02.1954 पौड़ी गढवाल/इण्टर	प्रोन्नत 2001	05.09.2001	20

क्रमशः.....5

अधिकारी का नाम तथा जन्मतिथि/गृह जनपद/शैक्षिक योग्यता	आवंटन का वर्ष	पुलिस उपाधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	वरिष्ठता सूची में कमांक
श्री जगदीश चन्द्र आर्य, 30.06.1956 अल्मोड़ा/एम.ए., एल.एल.बी.	प्रोन्नत 2007	25.04.2007	58
श्री परीक्षित कुमार, 04.02.1960 मुजफ्फरनगर(उ0प्र0)/बी.ए.,एल.एल.बी.	प्रोन्नत 2009	28.01.2009	58(A)
श्री प्रताप सिंह पांगती, 03.04.1956 पिथौरागढ़/बी.ए.	प्रोन्नत 2009	28.01.2009	59

5– इस प्रकार दिनांक 07.02.2011 को निर्गत वरिष्ठता सूची में श्री तारादत्त वैला का नाम कमांक–46 के स्थान पर कमांक–18(A) पर निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप उक्त सूची में कमांक–46 रिक्त पढ़ा जायेगा।

6– उक्त आंशिक रूप से संशोधित ज्येष्ठता सूची मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 582(S/B)/2017 राजेश भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्याः– 140 (1)/XX(1)–2018–3(18)2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उत्तराखण्ड।
7. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
8. पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना/सुरक्षा, उत्तराखण्ड।
9. पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी अन्तिम ज्येष्ठता सूची जनपद/वाहिनियों में तैनात सम्बन्धित अधिकारियों को संसूचित करने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रणजीत सिंह)
उप सचिव